अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के संविधान के अंतर्गत पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन की नियमावली

(राष्ट्रीय इकाई द्वारा पारित)

धारा 1. नाम : इस संस्था का नाम ''पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन'' होगा।

धारा 2. कार्यालय : इस संस्था का कार्यालय गुवाहाटी शहर में होगा, किंतु आवश्यकतानुसार प्रांतीय कार्यकारिणी समिति कार्यालय का स्थान बदल सकेगी।

धारा 3. उद्देश्य : सम्मेलन के उद्देश्य निम्नरूपेण हैं :

अ) मुख्य उद्देश्य :

(क) अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।

(ख) मारवाड़ी समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक स्तर पर सर्वांगीन विकास करना, जिससे वह देश की उन्नति और प्रगति में समुचित रुपेण सहायक हो तथा मारवाड़ी समाज को गौरवान्वित कर सके।

(ग) सशक्त मारवाड़ी संगठन के निर्माण हेतु प्रांत में सम्मेलन की शाखाओं का गठन करना।

(घ) बिना जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव के जन-साधारण के लाभार्थ जनसेवा व विकास कार्यक्रमों का संपादन करना।

आ) सहायक उद्देश्य :

(क) एकता व संगठन की भावना से मारवाड़ी समाज के विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में आबद्ध करना।

(ख) सामाजिक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रभावी जनमानस बनाने हेतु प्रयत्न करना।

(ग) मारवाड़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत का प्रचार-प्रसार करना एवं नवीन सृजनात्मक गतिविधियां करना।

(घ) अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का

प्रचार-प्रसार करते हुए जनमानस का निर्माण करना।

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों में समाज के छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार छात्रावासों का निर्माण करना एवं उन्हें सुचारू रूप से चलाना।

(च) उच्च शिक्षा के लिए युवक-युवतियों को प्रेरणा एवंप्रोत्साहन देने की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।

(छ) कला, विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता, विधि, वाणिज्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में समाज की प्रतिभाओं की सृजनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करना तथा अधिवेशन एवं अन्य समारोहों में इन्हें पुरस्कृत तथा सम्मानित करना। समाजसेवी व्यक्तियों का यथोचित सम्मान करना।

(ज) जनसाधारण के कल्याणर्थ विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार सेवा ट्रस्टों एवं संस्थाओं आदि की स्थापना करना।

(झ) राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सेवाओं के क्षेत्र में नियुक्तियों के लिए संबंधित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए समाज के युवक-युवतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में आवश्यक प्रयत्न करना।

(ञ) आंचलिक समन्वय, संहति एवं समरसता के लिए स्थानीय निवासियों के साथ पारस्परिक सहयोग व एकता स्थापित करना। विशेषकर स्थानीय त्यौहारों, उत्सवों आदि में को सक्रिय अंश ग्रहण करना।

(ट) समय-समय पर समाज पर हुए आक्रमणों के इतिहास की पुनरावृति रोकने के लिए आवश्यक वातावरण की सृष्टि एवं प्रयत्न करना। अवांछनीय पुरनावृत्ति की अवस्था में प्रबल विरोध करते हुए समाज को सुरक्षा प्रदान करना।

(ठ) समाज के महापुरुषों के प्रति समाज तथा जनमानस में सम्मान स्थापित करने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(ड) समाज के सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए निरन्तर क्रियाशील रहना।

(ढ) राष्ट्रीय एकता के हित में सजग एवं सक्रिय रहते हुए विविध आयोजन एवं प्रयत्न करना।

(ण) प्राकृतिक आपदाओं में जनसाधारण को राहत पहुंचाना।

(त) समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग का आदान-प्रदान करना।

(थ) समाजोपयोगी साहित्य की रचना, उसके प्रकाशन एवं वितरण आदि की व्यवस्था कराना।

(द) अन्य वे सभी कार्य करना, जो देश और मानवता के हित में हों।

(ध) मुख्य व सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज एवं जनसाधारण से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता संग्रह एवं स्वीकार करना तथा आवश्यकतानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति का निर्माण एवं क्रयादि करना।

धारा 4. कार्यक्षेत्र :

इस संस्था का कार्यक्षेत्र पूर्वोत्तर प्रांत होगा। सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को आवश्यकतानुसार प्रांत के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

धारा 5. परिभाषा :

इस नियमावली के नीचे लिखे हुए शब्द उनके सामने दिये गये अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं।

(अ) **सम्मेलन :** सम्मेलन से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन से है।

(आ) **प्रांतीय इकाई :** प्रांतीय इकाई से तात्पर्य मारवाड़ी सम्मेलन की प्रांतीय इकाई से है।

(इ) **शाखा :** शाखा से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की शाखा से है।

(ई) **समाजबंधू :** समाजबंधू से तात्पर्य मारवाड़ी समाज के सभी वर्गों के लोगों तथा महिलाओं से है।

(उ) **मारवाड़ी :** मारवाड़ी से तात्पर्य राजस्थान, हरियाणा, मालवा एवं उनके समीपवर्ती भू-भागों के रहन-सहन, भाषा एवं संस्कृति वाले वे व्यक्ति, जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज देश या विदेश के किसी भी भू-भाग में बसे हों व अपने को मारवाड़ी मानते हों।

(ऊ) **प्रांत :** प्रांत का तात्पर्य सम्मेलन की प्रांतीय स्तर पर कार्यरत इकाई के प्रांत से है।

(ए) **वर्ष :** वर्ष से तात्पर्य अंग्रेजी कैलेंडर के 12 महीने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

(ऐ) **समाज :** समाज से तात्पर्य मारवाड़ी समाज से है।

धारा 6. सदस्य :

(क) इस संस्था के कार्य क्षेत्र में स्थित सम्मेलन की समस्त शाखाओं एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा इस प्रांत से संबद्ध की गई अन्य शाखाओं के समस्त सदस्य ही इसके सदस्य होंगे।

(ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्मेलन के संविधान की नियमावली के अंतर्गत प्रदान की गई विशेष सदस्यता संबंधी निर्णय इस संस्था पर भी लागू होंगे।

धारा 7. सदस्यता शुल्क :

प्रांत की शाखाओं में संग्रहित कुल शुल्क का 30 प्रतिशत राष्ट्रीय इकाई तथा 20 प्रतिशत हिस्सा प्रांतीय इकाई का होगा। विशिष्ट संरक्षण सदस्य की पूरी राशि राष्ट्रीय इकाई की होगी तथा इस श्रेणी का सदस्य को सदस्य राष्ट्रीय, प्रांतीय व शाखा (तीनों) स्तर पर मान्य होंगे। राष्ट्रीय समिति को शुल्क में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

धारा 8. प्रांतीय सभा :

(अ) प्रांतीय स्तर पर सम्मेलन के सफल संचालन हेतु एक प्रांतीय सभा और प्रांतीय कार्यकारिणी समिति होगी।

(आ) प्रांत की सभी शाखाओं द्वारा मनोनीत सदस्य सम्मेलन की प्रांतीय सभा के सदस्य होंगे।

(इ) प्रांतीय समिति के लिए प्रत्येक शाखा निम्नानुसार सदस्य मनोनीत करेगी :-

(क) 50 या उससे कम सदस्य होने पर : **दो प्रतिनिधि**

(ख) 51 से 75 तक सदस्य होने पर : **तीन प्रतिनिधि**

(ग) 76 से 100 तक सदस्य होने पर : **चार प्रतिनिधि**

(घ) 101 या उससे अधिक सदस्य होने पर : **पांच प्रतिनिधि**

(ई) प्रत्येक शाखा 1 अप्रैल की कुल सदस्य संख्या के अनुसार और अगर नई शाखा का गठन हुआ हो तो गठन होने की तारीख की कुल सदस्य संख्या के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का मनोनयन करेगी।

(उ) शाखा द्वारा 3 महीने के अंदर प्रांतीय सभा हेतु अपने प्रतिनिधि का

मनोनयन न करने पर यह अधिकार प्रांतीय अध्यक्ष को हस्तांतरित हो जाएगा। प्रतिनिधि वापस न बुलाने पर प्रांतीय अध्यक्ष को उचित कार्रवाई का अधिकार होगा।

(ऊ) सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय सभा में 10 (दस) सदस्यों का मनोनयन करेंगे।

(ए) सभी भूतपूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय सभा के पदेन सदस्य होंगे।

(ऐ) सभी शाखाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री प्रांतीय सभा के पदेन सदस्य होंगे।

(ओ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्य प्रांतीय सभा के पदेन सदस्य होंगे।

(औ) प्रांतीय पदाधिकारी ही प्रांतीय सभा के पदाधिकारी होंगे।

धारा 9. प्रांतीय सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :

प्रांतीय सभा के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार होंगे :-

(अ) सम्मेलन के संविधान में संशोधन हेतु सुझाव पारित कर राष्ट्रीय कार्यालय को भेजना।

(आ) सम्मेलन की सामान्य नीति एवं घोषित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु योजनाओं का निर्धारण करना।

(इ) प्रांत के सुप्रबंध एवं कार्य के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

(ई) ऐसे किसी भी कार्य को, जो सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, संविधान में उसके लिए स्पष्ट उल्लेख न रहने पर भी सम्पादित करना, बशर्ते कि उससे किसी भी दशा में सम्मेलन के संविधान का विरोध व उल्लंघन न होता हो।

(उ) प्रांत के अंकेक्षित वार्षिक आय-व्यय विवरण पर स्वीकृति प्रदान करना।

(ऊ) अपने, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के या/और शाखा के सुचारु प्रबंध के लिए प्रांतीय सभा उपनियम बना सकती है, बशर्ते कि ये उपनियम सम्मेलन के संविधान एवं राष्ट्रीय समिति तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा क्रमशः प्रांतीय सभा, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति, शाखा के लिए बनाए गए उपनियमों का उल्लंघन न करें।

(ए) सम्मेलन की सर्वोच्च नीति निर्धारक अखिल भारतीय समिति एवं

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रांत व उसकी समस्त शाखाएं मनाने के लिए बाध्य होंगी।

धारा 10. बैठक :

(अ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति आवश्यकतानुसार प्रांतीय सभा की बैठकों का आयोजन करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी।

(आ) प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार बैठक का दिन, स्थान, समय तथा कार्यक्रम आदि निर्धारित करके बैठक होने से कम से कम 21 दिन पहले इसकी सूचना एवं विषयसूची प्रांतीय सभा के सभी सदस्यों को प्रेषित करेंगे।

(इ) प्रांतीय महामंत्री प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में विशिष्ट व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। वे अनुरोध किए जाने पर बैठक में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

(ई) बैठक की गुणपूर्ति प्रांतीय सभा की कुल सदस्य संख्या (सूचना जारी करने के दिन) का एक चौथाई या 21 जो भी कम हो, होगी। गुणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक एक घंटे बाद उसी स्थान पर आयोजित की जा सकेगी। किंतु उस बैठक में कम से कम 11 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी अन्य कारण से स्थगित बैठक 15 दिन बाद वापस बुलाई जा सकती है।

(उ) सदस्यों की ओर से भेजे जाने वाले, बैठक में विचारार्थ, सभी प्रस्ताव या मामले बैठक से 7 (सात) दिन पहले प्रांतीय महामंत्री के पास आ जाने चाहिए। इसके बाद प्राप्त प्रस्तावों पर या मामलों पर प्रांतीय अध्यक्ष की विशेष अनुमति से ही विचार किया जा सकेगा।

(ऊ) बैठक का प्रबंध वह शाखा करेगी, जहां पर बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक संबंधी व्यय भी उसी शाखा द्वारा वहन किया जाएगा।

(ए) प्रांतीय सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष करेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रांतीय उपाध्यक्षों में से कोई एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रांतीय उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को, जिसे उपस्थित सदस्य चुने, बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।

(ऐ) संविधान में वर्णित विशेष प्रस्तावों के अलावा अन्य सभी प्रस्ताव आवश्यकता पड़ने पर बहुमत से पारित किए जाएंगे। अध्यक्ष मतदान नहीं करेंगें एवं मत बराबर होने की स्थिति में निर्णयक मत देंगे।

(ओ) प्रांतीय सभा के सभी निर्णय प्रांतीय कार्यकारिणी समिति, शाखा तथा अन्य समिति, उप समितियों पर लागू होंगे।

(औ) द्विवार्षिक बैठक प्रांतीय सभा में निम्नलिखित कार्यसूची का सम्पादन अनिवार्य है :-

(क) प्रांतीय महामंत्री द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।

(ख) लेखा परीक्षक द्वारा लेख परिक्षित आय-व्यय का विवरण, प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन।

(ग) चालू वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।

(घ) आगामी वर्ष के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करना।

(अं) बैठक में अन्य कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कार्यक्रमों का भी संपादन होगा :-

(क) सम्मेलन के संविधान संशोधन हेतु सुझावों को पारित करना।

(ख) सम्मेलन के प्रांतीय अधिवेशन के आयोजन पर विचार करना।

(अ:) प्रांतीय सभा की विशेष बैठक निम्नलिखित अवस्थाओं में बुलाई जा सकेगी :-

(क) प्रांतीय सभा के 21 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र आने पर, जिसकी एक प्रति प्रांतीय अध्यक्ष को देनी आवश्यक होगी, प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय अध्यक्ष के परामर्श पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर विशेष बैठक की सूचना जारी करेंगे।

(ख) विशेष बैठक के लिए बैठक होने के 21 दिन पहले बैठक की सूचना सदस्यों को भेजी जाएगी।

(ग) विशेष बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया जाएगा, जिनके लिए वह बैठक बुलाई गई है।

(घ) निर्धारित अवधि में प्रांतीय महामंत्री द्वारा बैठक न बुलाए जाने पर लिखित आवेदन पत्र देने वाले सदस्य स्वयं 21 दिन की सूचना पर, बैठक का आयोजन कर सकते हैं। इस बैठक की सम्पूर्ण

कार्यवाही का लिखित विवरण उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित सात दिन के अन्दर सम्मेलन के प्रांतीय महामंत्री के पास भेजा जाएगा। ऐसी बैठक में विधिवत स्वीकृत हर प्रस्ताव प्रांत को मान्य होगा।

धारा 11. प्रांतीय कार्यकारिणी समिति :

(अ) प्रांत के सामान्य कार्य का संचालन प्रांतीय कार्यकारिणी समिति द्वारा होगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :-

प्रांतीय अध्यक्ष	:	एक
निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष	:	एक (पदेन सदस्य)
प्रांतीय उपाध्यक्ष (प्रांतीय कार्यालय)	:	एक
प्रांतीय उपाध्यक्ष (मंडल)	:	प्रत्येक मंडल से एक
प्रांतीय महामंत्री	:	एक
प्रांतीय संगठन मंत्री	:	एक
प्रांतीय संयुक्त मंत्री	:	तीन
प्रांतीय सहायक मंत्री	:	प्रत्येक मंडल से एक
प्रांतीय कोषाध्यक्ष	:	एक
सदस्य	:	21 (पदेन सदस्य)
मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष	:	एक (पदेन सदस्य)
मारवाड़ी महिला समिति की प्रांतीय अध्यक्ष	:	एक (पदेन सदस्य)
उप-समिति संयोजक	:	अधिकतम ग्यारह

(आ) सभी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय महामंत्री प्रांतीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(इ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव संविधान में वर्णित विभिन्न नियमों के तहत होगा।

(ई) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। किसी कारणवश तीन वर्ष के अंदर नई प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव नहीं होता है तो वर्तमान समिति स्वत: भंग हो जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एक तदर्थ समिति का गठन करेगा, जो अगले तीन माह में नवप्रांतीय कार्यकारिणी का गठन करेगी। 90 (नब्बे) दिनों के अंदर प्रांतीय सभा की

बैठक आयोजित कर नई प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का गठन करवाना अनिवार्य होगा।

(उ) नए प्रांतीय अध्यक्ष के निर्वाचित होने पर (मध्यावधि होने पर भी) पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सभी पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, उप समिति संयोजकों, अन्य समिति, उप समिति संयोजकों तथा सदस्यों के पद स्वत: ही रिक्त हो जाएंगे तथा नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष नई नियुक्तियाँ करने के अधिकारी होंगे।

धारा 12. दायित्व, कर्तव्य और अधिकार:

(अ) सम्मेलन की राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय अधिवेशन, राष्ट्रीय कार्यकरिणी समिति प्रांतीय सभा, प्रांतीय अधिवेशन द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना।

(आ) अपने कार्यक्षेत्र में शाखाओं के विघटन हेतु प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना।

(इ) प्रांत के वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य विवरणों को पारित कर उन्हें प्रांतीय सभा की बैठक में अनुमोदित करवाना।

(ई) प्रांतीय स्तर पर सम्मेलन की नीतियों का संचालन एवं कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों एवं उपसमितियों की स्थापना करना तथा उसके सदस्यों और संयोजकों की नियुक्ति करना।

(उ) प्रांतीय पदाधिकारियों के कार्यों का अवलोकन करना तथा उन पर नियंत्रण रखना।

(ऊ) प्रांत के कार्यों के लिए वैतनिक या अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनके कार्य, वेतन आदि निश्चित करना।

(ए) प्रांत के कार्यों के लिए आवश्यक धन राशि का प्रबंध करना।

(ऐ) प्रांत की चल-अचल सम्पत्ति की रक्षा, क्रय-विक्रय, बंधक, हस्तान्तरण, अर्जन तथा व्यय हेतु निर्णय करना।

(ओ) प्रांत के विभिन्न कार्यों के लिए किए जाने वाले ऐसे व्यय की स्वीकृति देना।

(औ) ऐसे किसी भी कार्य को जो सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, संविधान में जिसके लिए स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी प्रांतीय कार्यकारिणी समिति उस कार्य को कर सकती है, बशर्ते उससे सम्मेलन के संविधान का उल्लंघन न होता हो।

(अं) प्रांतीय सभा की बैठकों का आयोजन करना।

(क) आवश्यकता होने पर सम्मेलन के प्रांतीय अधिवेशन के समय व स्थान का निर्धारण करना।

(ख) प्रांतीय चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना तथा चुनाव हेतु नियमादि बनाना।

(ग) प्रांतीय अधिवेशन की समाप्ति के तीन महीने के अंदर अधिवेशन का स्वीकृत तथा लेखा परीक्षक द्वारा संपरीक्षित आय-व्यय का विवरण प्रतिवेदन सहित आयोजक शाखा की कार्यकारिणी समिति के जरिये प्राप्त करना।

(घ) प्रांतीय अधिवेशन से होने वाली आय या घाटे की व्यवस्था प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार की जाएगी।

(ङ) विषय निर्वाचनी समिति में दो सदस्य का मनोनयन करना।

धारा 13. बैठक (कार्यकारिणी समिति) :

(अ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(आ) प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करेंगे व उसके दिन, स्थान, समय तथा कार्यक्रम नियत करेंगे और बैठक होने के 14 दिन पहले प्रत्येक सदस्य को इसकी सूचना एवं विषयसूची देंगे। प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रांतीय महामंत्री इन बैठकों में आवश्यकतानुसार विशिष्ट व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकेंगे। ये व्यक्ति अनुरोध करने पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे।

(इ) इन बैठकों का प्रबंध वह शाखा करेगी जहां पर बैठक का आयोजन हो रहा हो एवं संबंधित व्यय भी शाखा वहन करेगी।

(ई) प्रांतीय सभा की किसी भी बैठक के तुरंत बाद प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक मौखिक सूचना से बुलाई जा सकेगी।

(उ) (क) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की गणपूर्ति प्रांतीय पदाधिकारियों के अलावा 11 होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक एक घंटे पश्चात उसी स्थान पर हो सकेगी बशर्ते कि कम से कम सात सदस्य मौजूद हों। स्थगित बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार हो सकेगा, जिसके लिए प्रारंभिक बैठक बुलाई गई थी।

(ख) किसी अन्य कारण से स्थगित बैठक 10 दिन की सूचना पर वापस बुलाई जा सकेगी तथा उस स्थगित बैठक में केवल पूर्व सूचित विषयों पर ही विचार किया जा सकेगा।

(ऊ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष करेंगे। प्रांतीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रांतीय उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को, जिसे उपस्थित सदस्य चुने, बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।

(ए) यदि कोई विषय नितान्त आवश्यक हो और प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकती हो तो प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री के हस्ताक्षरों सहित प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के पास किसी भी प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजकर उनसे लिखित राय मांगी जा सकती है। निर्दिष्ट समय जो कम से कम 15 (पंद्रह) दिन होना आवश्यक है, के अन्दर जो राय प्राप्त होगी उसके बहुमत के अनुसार यह प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत माना जाएगा।

(ऐ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के सारे प्रस्ताव आवश्यकता पड़ने पर बहुमत से पारित होंगे। मत संख्या बराबर होने पर प्रांतीय अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है।

(ओ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक निम्न अवस्था में बुलाई जा सकती है :-

(क) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के कम से कम 7 सदस्यों द्वारा लिखित आवेदन पत्र आने पर, जिसकी एक प्रति प्रांतीय अध्यक्ष को देना आवश्यक है, प्रांतीय महामंत्री आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना जारी करेंगे। सूचना में बैठक का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखित होना होगा। विशेष बैठक के लिए 14 दिन पहले सूचना जारी करनी होगी।

(ख) यदि लिखित आवेदन प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर प्रांतीय महामंत्री सभा न बुलाये तो आवेदनकर्तागण स्वयं 14 दिन की सूचना देकर बैठक बुला सकेंगे। बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया

जा सकेगा, जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया था। इस बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित 7 दिन के अन्दर प्रांतीय महामंत्री के पास भेज देना होगा। ऐसी बैठक में विधिवत स्वीकृत हर प्रस्ताव प्रांत को मान्य होगा।

धारा 14. पदाधिकरियों के कर्तव्य एवं अधिकार:

(अ) प्रांतीय अध्यक्ष :

(क) प्रांतीय अधिवेशन, प्रांतीय सभा की बैठकों, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों तथा प्रांत की अन्य सभाओं की अध्यक्षता कर, कार्यवाही का वैधानिक रूप से संचालन करना।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर बैठक, सेमिनार, अधिवेशन आदि बुलाने की स्वीकृति या आज्ञा देना।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर बहुमत की सहमति से अथवा किसी विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर किसी भी विवादास्पद विषय पर विचार स्थगित करना।

(घ) प्रांत की सभी समितियों तथा उपसमितियों में पदेन सदस्य होना या अपनी जगह उसमें किसी प्रांतीय उपाध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को पदेन घोषित करना।

(ङ) ऐसी किसी भी विषय पर जो निर्विवाद रूप से सम्मेलन के उद्देश्यों की परिधि में हो और जिसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हो और जिस पर निर्णय करने के लिए प्रांतीय सभा की बैठक बुलाने के लिए समय नहीं हो, प्रांतीय अध्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। लेकिन इस विषय में प्रांतीय सभा की अगली बैठक को अवगत कराना आवश्यक होगा।

(च) प्रांतीय कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर चैक, ड्राप्ट तथा अन्य हस्तान्तरण पत्रों पर हस्ताक्षर करना या हस्तान्तरण कराना।

(छ) प्रांत के प्रांतीय उपाध्यक्ष (मंडलीय तथा एक प्रांतीय कार्यालय), एक प्रांतीय महामंत्री, दो संयुक्त मंत्री तथा एक प्रांतीय कोषाध्यक्ष का मनोनयन करना तथा उनके स्थान में रिक्तता उत्पन्न होने पर उसकी पूर्ति करना।

(ज) महत्वपूर्ण लेखों, सम्मेलन के संविधान, विवरणों आदि पर स्वीकृति स्वरूप अपने हस्ताक्षर करना।

(झ) प्रांतीय सभा, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां-उपसमितियों में, संविधान में वर्णित विभिन्न नियमानुसार, सदस्यों का मनोनयन करना, उन्हें हटाना तथा उनके स्थान पर पैदा हुई रिक्तता की पूर्ति करना।

(ङ) प्रांत के समस्त कार्यों, उसकी चल तथा अचल सम्पत्ति, आय-व्यय आदि पर अपना सामान्य नियंत्रण रखना, उनका संरक्षण करना और सम्मेलन के किसी भी पदाधिकारी को कोई कार्य करने हेतु अधिकृत करना और उनका मार्गदर्शन करना।

(ट) सम्मेलन के हित में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा देश की अन्य संस्थाओं व व्यक्तियों से संपर्क रखना तथा प्रांत की ओर से प्रतिनिधित्व करना।

(ठ) प्रांत के कार्यों हेतु राशि व्यय करना तथा प्रांतीय कार्यकारिणी समिति से उसकी पुष्टि करवाना।

(ड) उन सभी अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करना जिनकी प्रांत के मुख्य के नाते उनसे इन संविधान के अन्तर्गत या अन्यथा अपेक्षा की जाए।

(ढ) प्रांत की विभिन्न सभाओं, बैठकों में विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करने का निर्देश प्रांतीय महामंत्री को देना।

(ण) प्रांतीय अधिवेशन में समाज की विभूतियों को सम्मानित व पुरस्कृत करने का निर्णय लेना।

(त) अपने कार्य क्षेत्र की शाखाओं को विभिन्न मंडलों में विभाजित करना और आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन करना।

(थ) अपने प्रांत में नवगठित शाखाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कार्यालय को अनुशंसा करना।

(द) यदि प्रांतीय अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान पदत्याग करना चाहें, तो उन्हें अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना होगा।

(ध) विशेष परिस्थितियों में प्रांतीय अध्यक्ष शाखा विशेष के राष्ट्रीय शुल्क

माफ किए जाने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध कर सकते है।

(न) अपने प्रांत की सभी शाखाओं का अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार औपचारिक दौरा करना।

(प) अपने प्रांत की सभी गतिविधियों, कार्यक्रम व समस्याओं के संबंध में अपने क्षेत्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से निरंतर संपर्क बनाए रखना।

(फ) अपने प्रांत की सभी गतिविधियों, कार्यक्रम आदि की एक रिपोर्ट वर्ष की प्रत्येक छमाही के अंत में अपने क्षेत्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को प्रेषित करना।

आ) 1. प्रांतीय उपाध्यक्ष (मंडलीय) :

(क) प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रांतीय अध्यक्ष के सभी अधिकारों एवं दायित्वों को ग्रहण करना।

(ख) आवश्यकतानुसार प्रांतीय अध्यक्ष के सभी कार्यों में सहायता प्रदान करना।

(ग) किसी भी समिति या उपसमिति में प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा पदेन सदस्य घोषित किए जाने पर तदानुसार कार्य करना।

(घ) संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक मंडलीय उपाध्यक्ष को अपने-अपने मंडल से एक सदस्य को प्रांतीय सहायक मंत्री के रूप में मनोनीत करने का अधिकार होगा तथा उक्त पद रिक्त होने पर रिक्तता की पूर्ति करना।

(ङ) संगठन तथा प्रचार कार्य में अपने-अपने मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए, वहां के कार्यकार्ताओं का मार्गदर्शन करना।

(च) प्रांत की विभिन्न सभाओं में अपने मंडल से उठे किसी भी विषय पर सभा को सभी राय कायम करने में सहायता प्रदान करना।

(छ) अपने मंडल की सभी शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष की वर्ष की प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बैठक का आयोजन करना। इन बैठक के प्रबंध तथा खर्च की जिम्मेदारी आयोजक शाखा की होगी।

(ज) अपने मंडल की सभी शाखाओं का वर्ष में कम से कम एक बार औपचारिक सांगठनिक दौरा करना।

2. प्रांतीय उपाध्यक्ष (मुख्यालय) :

(क) प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों तथा दायित्वों का सम्पादन।

(ख) प्रांतीय मुख्यालय के समस्त प्रशासनिक कार्यों, चल-अचल सम्पत्ति, आय-व्यय आदि पर सामान्य नियंत्रण रखना तथा उनका संरक्षण करना।

(ग) शाखाओं से पत्राचार बनाए रखना तथा प्रांतीय एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में उनका मार्गदर्शन करना।

इ) प्रांतीय महामंत्री :

(क) प्रांतीय महामंत्री प्रांत के सभी कार्यों का संविधानानुसार संचालन करने तथा उनका पूर्ण विवरण रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) वे प्रांत से संबंधित संस्थाओं से संपर्क रखेंगे, उन्हें सहयोग देंगे और उनसे सहयोग लेंगे।

(ग) प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रांतीय कार्यकारिणी समिति एवं प्रांतीय सभा द्वारा के लिए गए निर्णयानुसार सम्मेलन की विभिन्न समितियों, उपसमितियों की बैठक निमंत्रित करना, उनका दिन, समय, स्थान तथा कार्यक्रम निर्धारित करके उसकी सूचना सदस्यों को प्रेषित करना।

(घ) प्रांत की सभाओं और समितियों में विचारार्थ जो भी प्रस्ताव, रिपोर्ट, सुझाव आदि आये, उन्हें प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से सभाओं और समितियों में विचारार्थ प्रस्तुत करना।

(ङ) सभाओं और समितियों के कार्यक्रम को तैयार करके उसे अगली बैठक में सम्मुष्टि के लिए रखना और यदि सम्भव हो तो सदस्यों को भी सूचनार्थ भेजना।

(च) प्रांतीय कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर चैक, ड्राप्ट तथा अन्य हस्तांतरण पत्रों पर हस्ताक्षर करना या हस्तान्तरण करना।

(छ) प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से सम्मेलन की विभिन्न सभाओं में विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

(ज) प्रांतीय कोषाध्यक्ष से सम्मेलन के आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करवा के प्रांतीय कार्यकारिणी समिति से उसकी स्वीकृति

प्राप्त करना और प्रांतीय सभा में उसका अनुमोदन करना।

(झ) प्रांत के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, अन्य महत्वपूर्ण विवरण तैयार करके उन्हें स्वीकृति क लिए प्रांतीय कार्यकारिणी समिति तथा अनुमोदन के लिए प्रांतीय सभा के समक्ष रखना।

(ञ) सम्मेलन के हित में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करना तथा प्रांतीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रांत का प्रतिनिधित्व करना।

(ट) वे अपने अधिकार से किसी एक मद में रुपए 2,000 तक की धनराशि व्यय कर सकेंगे, जिसकी पुष्टि वे प्रांतीय कार्यकारिणी समिति से कराएंगे।

(ठ) अपने कार्यों में प्रांतीय संयुक्त मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करना, उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने की उनसे अपेक्षा करना, उनमें कार्य वितरण करना तथा उनका पथ प्रदर्शन करना।

(ड) प्रांत के सभी वैतनिक कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखना तथा उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

(ढ) प्रांत के सम्पूर्ण व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखना और प्रांत के हित में प्रांतीय अध्यक्ष को उचित कार्यवाही के लिए अपना परामर्श देना।

(ण) प्रांतीय सभा तथा प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक का आयोजन करना।

(त) प्रांत की सभी समितियों तथा उपसमितियों में पदेन सदस्य होना, तथा उसमें भाग लेना। आवश्यकतानुसार अपने स्थान पर किसी प्रांतीय संयुक्त मंत्री या अन्य किसी सदस्य को पदेन सदस्य घोषित करना।

(थ) प्रांत की ओर से समस्त महत्वपूर्ण कागजों, विवरणों, लेखों आदि पर हस्ताक्षर करना।

(द) प्रांत के हित में उन सब कार्यों को करवाना, जिनका किया जाना वे उचित समझते हों या जिनके करने की उनसे अपेक्षा की जाती हो।

ई) प्रांतीय संयुक्त मंत्री :

(क) प्रांतीय महामंत्री की अनुपस्थिति में प्रांतीय अध्यक्ष अथवा प्रांतीय महामंत्री द्वारा अधिकृत किये जाने पर उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्तव्यों का पालन करना।

(ख) प्रांत के हित में प्रत्येक उस कार्य को करना जिसके करने की अपेक्षा उनसे प्रांतीय महामंत्री करे।

(ग) किसी भी समिति या उपसमिति में प्रांतीय महामंत्री द्वारा पदेन सदस्य घोषित किये जाने पर तदानुसार कार्य करना।

उ) प्रांतीय कोषाध्यक्ष :

(क) प्रांतीय महामंत्री के सहयोग से प्रांत के आय-व्यय का पूर्ण लेखा रखना, उसे प्रांतीय कार्यकारिणी समिति में प्रांतीय महामंत्री के माध्यम से स्वीकृति के लिए रखना और लेखा परीक्षक से उसकी संपरीक्षा करवाकर प्रांतीय सभा में अनुमोदन के लिए रखना।

(ख) प्रांत के जो भी वैतनिक लेखाकार (मुनीम)और रोकड़िया (कैशियर) होगा, उस पर नियंत्रण रखना।

(ग) प्रांत की समस्त चल और अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उनका लेखा रखना तथा उनकी आवश्यक मरम्मत प्रांतीय महामंत्री के माध्यम से कराने की व्यवस्था करना।

(घ) आय-व्यय संबंधी सभी रसीदों, पुस्तकों, रजिस्टरों आदि अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखना तथा उनका हिसाब रखना। प्रांत की बकाया राशि का संग्रह करने हेतु उचित प्रयास करना।

(ङ) प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष (मुख्यालय) एवं प्रांतीय महामंत्री के सहयोग से किसी भी बैंक में खाता खोलना तथा उसका संचालन करना।

(च) आवश्यक खर्चों के लिए अपने पास दस हजार रुपए तक नकद रखना।

(छ) यह देखना कि व्यय स्वीकृति के अनुसार होता है तथा आय और व्यय में संतुलन है।

(ज) उन सभी कार्यों को करना जिसके करने की सम्मेलन अपेक्षा करता है।

ऊ) प्रांतीय सहायक मंत्री :

(क) अपने संबंधित मंडल की मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रांतीय महामंत्री एवं प्रांतीय अध्यक्ष के पास भेजना।

(ख) अपने संबंधित मंडल के प्रत्येक कार्य में सम्मेलन के विभिन्न पदाधिकारियों से सहयोग करना।

(ग) उन सभी कार्यों को करना जिसके करने की सम्मेलन अपेक्षा करता है।

धारा 15. चुनाव :

(अ) प्रांत के प्रत्येक अधिवेशन के उद्घाटन सत्र से पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा।

आ) निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों का मनोनयन नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष करेंगे :-

प्रांतीय उपाध्यक्ष (मुख्यालय)	:	एक
प्रांतीय उपाध्यक्ष (मंडल)	:	प्रत्येक मंडल से एक
प्रांतीय महामंत्री	:	एक
प्रांतीय संगठन मंत्री	:	एक
प्रांतीय संयुक्त मंत्री	:	तीन
प्रांतीय सहायक मंत्री	:	प्रत्येक मंडल से एक
प्रांतीय कोषाध्यक्ष	:	एक
सदस्य	:	इक्कीस
उप-समिति संयोजक	:	अधिकतम ग्यारह

इ) मण्डलीय उपाध्यक्ष के लिए मनोनीत सदस्य को संबंधित मण्डल की किसी शाखा का सदस्य होना अनिवार्य होगा।

ई) प्रत्येक मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे अपने मण्डल के किसी एक सदस्य को प्रांतीय सहायक मंत्री के रूप में मनोनीत करें।

उ) चुनाव के कम से कम एक महीने पहले प्रांतीय कार्यकारिणी समिति द्वारा आगामी चुनाव हेतु एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव अधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियमों-उपनियमों के अंतर्गत प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा। चुनाव के सफल संचालन हेतु चुनाव के मामले में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

धारा 16. निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरेल कॉलेज) :

(अ) प्रांतीय सभा में सभी शाखा प्रतिनिधियों (शाखा के अध्यक्ष तथा मंत्री सहित), प्रांतीय अध्यक्ष तथा निवर्तमन प्रांतीय अध्यक्ष को मिलाकर एक निर्वाचक मंडल का स्वत: गठन होगा। यह निर्वाचक मंडल प्रांतीय अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा।

(आ) चुनाव के एक महीने पूर्व जो प्रतिनिधि शाखाओं द्वारा प्रांतीय सभा में भेजे गए हैं, वे ही निवार्चक मंडल के सदस्य होंगे। चुनाव के एक महीना या उससे

कम समय रहने पर निर्वाचक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। केवल चुनाव अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त समय में परिवर्तन कर सकता है।

(इ) निर्वाचक मंडल के जो सदस्य चुनाव स्थल पर उपस्थित होंगे, वे ही मतदान में भाग ले सकते हैं।

धारा 17. उम्मीदवारों की योग्यता :

अ) प्रांतीय अध्यक्ष पद पर खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी हैं :-

(क) उम्मीदवार कम से कम दो वर्षों से लगातार सम्मेलन के संबंधित प्रांत में सदस्य रहा हो।

(ख) उम्मीदवार की उम्र कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए।

(ग) उम्मीदवार कम से कम लगातार एक सत्र तक सम्मेलन की किसी शाखा या प्रांतीय या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहा हो।

आ) किन्ही कारणोंवश अगर नामांकन पत्र दाखिल होने के अंतिम समय तक वैध नामांकन पत्र प्राप्त न हुआ हो तो प्रांतीय सभा उपरोक्त वर्णित योग्यताओं में उस चुनाव हेतु अस्थाई परिवर्तन कर सकती है।

धारा 18. चुनाव प्रणाली :

अ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करने के साथ ही चुनाव हेतु समयतालिका भी निश्चित करेगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों हेतु तिथि/समय का निर्धारण किया जाएगा।

1. निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची का प्रकाशन।
2. नामांकन पत्र दाखिलाकरण।
3. नामांकन पत्रों की जांच।
4. नामांकन पत्र की वापसी।
5. उम्मीदवार की अंतिम सूची का प्रकाशन।
6. मतदान (आवश्यक होने पर)
7. चुनाव नतीजे की घोषणा (प्रांतीय सभा की बैठक में)।

आ) प्रांतीय अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार के समर्थन में प्रांत की कम से कम तीन शाखाओं से नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए।

प्रस्ताव को उस शाखा विशेष के अध्यक्ष तथा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर करके चुनाव अधिकारी को भेजा जाएगा, जो चुनाव तिथि से कम एक महीने पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार की सहमति में उसके हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, परंतु मतदान की अवस्था में या निर्विरोध घोषित करने से पूर्व चुनाव अधिकारी को उम्मीदवार की लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा असहमति व्यक्त पर ऐसे नामांकन पत्र रद्द समझे जाएंगे।

इ) प्रस्तावित उम्मीदवार निर्धारित समय में अपना नामांकन वापस लेने के अधिकारी होंगे।

ई) किन्हीं कारणवश निर्धारित अवधि में यदि एक भी वैध नामांकन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो, चुनाव स्थल पर ही प्रांतीय सभा के सदस्य उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित या समर्थित करने के अधिकारी होंगे। बैठक की कार्यसूची में इस विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

उ) संविधान में अवर्णित परिस्थितियों में चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

धारा 19. प्रांतीय अधिवेशन :

अ) प्रत्येक सत्र के अंत में सत्र प्रांपभ से चौबीसवें महीने के बाद तथा छत्तासवें महीने के भीतर एक प्रांतीय अधिवेशन होगा, जिसमें सम्मेलन से संबंधित प्रांत के सभी सदस्य उपस्थित हो सकेंगे।

आ) यदि पूर्व प्रांतीय अधिवेशन में स्थान निर्धारण कर लिया गया हो तो उसी स्थान पर अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। यदि ऐसा न हुआ हो, या निर्णय लिए जाने के बाद किन्हीं कारणवश वहां अधिवेशन न हो सके, तो प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिवेशन का स्थान निश्चित करे।

इ) प्रांतीय अध्यक्ष ही अधिवेशन की अध्ययक्षता करेंगे।

ई) दो अधिवेशन के बीच कम से कम 24 महीने और ज्यादा से ज्यादा 36 महीने का अंतर होना चाहिए।

उ) अधिवेशन में अन्य कार्यक्रमों के अलावा विषय निर्वाचनी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के समक्ष रखे जाएंगे, जिन पर सभी प्रतिनिधि

विचार-विमर्श करेंगे। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव ही प्रांत के प्रस्ताव माने जाएंगे तथा अधिवेशन में उन प्रस्तावों की घोषणा की जाएगी।

ऊ) अधिवेशन में प्रांतीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णित समाज की विभूतियों का सम्मान किया जा सकेगा, उन्हें पुरस्कृत किया जा सकेगा और अनुरोध किए जाने पर वे अपने विचार भाषण, संबोधन आदि के रूप में प्रकट कर सकते हैं।

ए) इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक समारोह का आयोजन भी किया जा सकेगा।

धारा 20. स्वागत समिति :

अ) जिस स्थान पर प्रांतीय अधिवेशन होने वाला हो, वहां की संबंधित शाखा की कार्यकारिणी समिति द्वारा एक स्वागत समिति का गठन किया जाएगा। आयोजक शाखा के सदस्य ही स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा मंत्री हो सकेंगे। किंतु अन्य शाखाओं के सदस्य स्वागत समिति में लिये जा सकते हैं।

आ) स्वागत समिति का कर्तव्य होगा कि वह प्रांतीय अधिवेशन हेतु धन संग्रह सहित सभी व्यवस्था करे। अधिवेशन होने के पश्चात तीन महीने के अंदर अधिवेशन का स्वीकृत तथा लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित आय-व्यय विवरण प्रतिवेदन सहित शाखा की कार्यकारिणी समिति के जरिए प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को प्रेषित करेगी।

इ) स्वागत समिति को अधिवेशन से होने वाली आय या घाटे की व्यवस्था प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के निर्णायानुसार की जाएगी।

धारा 21. विषय निर्वाचनी समिति :

अ) विषय निर्वाचनी समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :-

क) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत दो सदस्य।

ख) स्वागत समिति के अध्यक्ष एवं मंत्री।

ग) प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय महामंत्री।

घ) प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्य।

ङ) स्वागत समिति द्वारा मनोनीत एक सदस्य जो कि इस समिति का संयोजक भी होगा।

आ) विषय निर्वाचनी समिति की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष का चयन उपस्थित सदस्य कर सकेंगे।

इ) प्रांतीय सभा या प्रांतीय कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्तावों को अन्य प्रस्तावों पर प्राथमिकता दी जाएगी।

ई) विषय निर्वाचनी समिति की बैठक में कम से कम दो-तिहाई मत से समर्थित प्रस्ताव ही प्रतिनिधि सभा में रखे जाएंगे।

धारा 22. प्रतिनिधि सभा :

अ) प्रतिनिधि सभा का गठन प्रांत के उन सदस्यों से होगा, जो अधिवेशन स्थल पर स्वागत समिति द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार अपना पंजीकरण कराएंगे।

आ) प्रतिनिधि सभा का मुख्य कार्य सम्मेलन के पिछले कार्यों पर अवलोकन करना एवं सम्मेलन की भावी कार्य नीतियों का निर्धारण करना है।

आ) विषय निर्वाचनी समिति द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर उन पर निर्णय लेना।

इ) प्रतिनिधि सभा की बैठक में मतदान की अवस्था में स्वागत समिति द्वारा पंजीकृत प्रतिनिधि ही मतदान में भाग ले सकेंगे।

धारा 23 क) उपसमितियां एवं अन्य अधिकारी :

अ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह प्रांत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न उप समितियों का गठन करे उनके सदस्यों और संयोजकों को मनोनीत करे तथा उनके कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बनाए।

(आ) उपसमितियों के कार्य अधिकारी संयोजक कहलाएंगे। वे ही उपसमितियों की बैठकों आयोजित करेंगे तथा उनका संचालन करेंगे।

(इ) प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह प्रांत की किसी भी उपसमिति में परिवर्तन अथवा उन्हें समापत कर सकती है। किसी भी उपसमिति के संदर्भ में प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय सर्वोपरि होगा।

(ई) प्रांतीय अध्यक्ष आवश्यकतानुसार प्रांतीय स्तर की समिति - उपसमिति का गठन कर सकते हैं। लेकिन उक्त गठन का अनुमोदन प्रांतीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक में करवानी आवश्यक होगी।

धारा 23. (ख) प्रांतीय अनुशासन समिति :

प्रांत के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं व सदस्यों से संबंधित अनुशासनहीनता के मामले निपटाने हेतु प्रांतीय अधिवेशन के बाद होने वाली प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में प्रांत स्तर की प्रांतयी अनुशासन समिति का गठन किया जाएगा।

(क) इस समिति का गठन प्रांतीय अधिवेशन के पश्चात् प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक में समिति प्रमुख की नियुक्ति के साथ किया जाएगा। नियुक्ति को लेकर विरोधाभास की परिस्थिति में दो-तिहाई से अधिक बहुमत से नियुक्ति होगी।

(ख) उपरोक्त समिति में प्रांतीय कार्यकारिणी समिति दो और सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

(ग) प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय महामंत्री इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(घ) अनुशासन समिति का कार्यालय प्रांतीय कार्यालय होगा।

(ङ) समिति के कामकाज करने की भाषा हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

(च) समिति के समक्ष शाखा या शाखा सदस्यस्तरीय विवाद निपटारे हेतु सीधे भेजे जा सकेंगे।

यह समिति अपनी मूलभूत कार्य प्रणाली एवं नियमों का अपनी प्रथम बैठक में सर्वसम्मति से निर्धारण करेगी, जिसे प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की अगली सभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(छ) किन्ही कारणवश इस समिति का गठन न हो पाने पर प्रांतीय कार्यकारिणी समिति में लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

धारा 24. लेखा परीक्षक:

प्रांतीय सभा द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक प्रांत के वार्षिक आय-व्यय का परीक्षण कर उसके संबंध में अपनी आपत्तियां तथा सुझावों सहित अपनी रिपोर्ट प्रांतीय कोषाध्यक्ष के माध्यम से प्रांतीय सभा को प्रेषित करेंगे। लेखा परीक्षक का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होना आवश्यक है, तथा वे प्रांत के पदाधिकारी नहीं होने चाहिए।

धारा 25. विधि परमार्शदाता :

प्रांतीय अध्यक्ष या/तथा प्रांतीय महामंत्री को अधिकारी होगा कि वे प्रांतीय इकाई को विधि संबंधी परामर्श देने तथा उसके हितों की रक्षा करने हेतु तथा न्यायालय में प्रांत का पक्ष समर्थन करने हेतु किसी विधिवेता की सेवाएं नि:शुल्क या स:शुल्क प्राप्त करें।

धारा 26. काम-काज की भाषा तथा बैठक:

(अ) प्रांत अपना समस्त कार्य यथाशक्ति देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा में करेगा। विशेष स्थिति में सम्मेलन अन्य भषाओं का प्रयोग अपने पत्र व्यवहार, प्रकाशानों आदि में कर सकेगा।

(आ) प्रांत अपने काम-काज में देवनागरी लिपि तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अंकों का प्रयोग कर सकता है।

धारा 27. बैंक खाता :

प्रांत की समस्य धनराशि बैंक में जमा रहेगी तथा बैक खाता प्रांतीय अध्यक्ष या प्रांतीय महामंत्री तथा प्रांतीय कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होगा।

धारा 28. कानूनी कार्यवाही :

प्रांत द्वारा या प्रांत के विरुद्ध जो भी कार्यवाही होगी उसका संचालन प्रांतीय अध्यक्ष या प्रांतीय महामंत्री द्वारा प्रांत के नाम पर किया जाएगा। इस संबंध में अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार तथा आवश्यक कागजातों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार प्रांतीय अध्यक्ष या/तथा प्रांतीय महामंत्री को होगा।

धारा 29. हिसाब वर्ष :

प्रांत का हिसाब वर्ष अंग्रेजी कलेण्डर के बारह महीने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

धारा 30. संशोधन :

संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार प्रांतीय सभा को भेजेंगे। प्रांतीय सभा द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रीय इकाई को भेजकर उनकी सहमति लेना आवश्यक होगा।

धारा 32. विघटन :

(अ) सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रांत का विघटन कर सके।

(आ) प्रांत के विघटन के समय समस्त ऋणों एवं दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात जो संपत्ति शेष रह जाएगी उसके उपयोग एवं स्वामित्व के संदर्भ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(नोट : राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को इस नियमावली में बदलाव करने का पूर्ण अधिकार होगा।)

अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के संविधान के अंतर्गत पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन की शाखाओं की नियमावली

धारा 1. नाम : इस संस्था का नाम 'मारवाड़ी सम्मेलन, ... शाखा' होगा।

धारा 2. कार्यालय : इस संस्था का कार्यालय ..... शहर-नगर-ग्राम में होगा।

धारा 3. उद्देश्य : सम्मेलन के उद्देश्य निम्नरूपेण हैं :-

अ) मुख्य उद्देश्य :

(क) अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।

(ख) मारवाड़ी समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, राजनैतिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक स्तर पर सर्वांगीण विकास करना, जिससे वह देश की उन्नति और प्रगति में समुचित रूपेण सहायक हो तथा मारवाड़ी समाज को गौरवान्वित कर सकें।

(ग) सशक्त मारवाड़ी समाज के निर्माण हेतु सम्मेलन की शाखाओं के गठन हेतु प्रयास करना।

(घ) बिना जातिगत व धार्मिक भेदभाव के जन-साधारण के लाभार्थ जनसेवा व विकास कार्यक्रमों का सम्पादन करना।

(आ) सहायक उद्देश्य :

(क) एकता व संगठन की भावना से मारवाड़ी से मारवाड़ी समाज के विभिन्न समुदायों को एक सूत्र में आबद्ध करना एवं एतदर्थ विचार, जागृति पैदा करने के लिए विभिन्न साधनों द्वारा प्रचार एवं आंदोलन करना।

(ख) सामाजिक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रभावी जनमानस बनाने हेतु प्रयत्न करना।

(ग) मारवाड़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के गौरवपूर्ण अतीत का प्रचार प्रसार एवं नवीन सृजनात्मक गतिविधियां करना।

(घ) अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करते हुए जनमानस का निर्माण करना।

(ङ) विभिन्न क्षेत्रों में समाज के छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार छात्रावासों का निर्माण करना एवं उन्हें सुचारु रूप से चलाना।

(च) साहित्य, संस्कृति व कला के क्षेत्रों में प्रगति एवं ज्ञान-विज्ञान के सभी विषयों की उच्च शिक्षा के लि युवक-युवतियों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना।

(छ) समाज के योग्य किन्तु साधनहीन सिक्षार्थियों को आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करवाने हेतु आवश्यक प्रयत्न करना।

(ज) कला, विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता, विधि, वाणिज्य, तकनीकी आदि क्षेत्रों में समाज की प्रतिभाओं की सृजनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करना तथा अधिवेशन एवं अन्य समारोहों में इन्हें पुरस्कृत तथा सम्मानित करना। समाजेसवी व्यक्तियों का यथोचित सम्मान करना।

(झ) जनसाधारण के कल्याणार्थ विविध योजनाओं का निर्माण एवं कार्यान्वयन। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार सेवा ट्रस्टों एवं संस्थाओं आदि की स्थापना करना।

(ञ) समाज में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना।

(ट) व्यक्ति के विकास में समाज के योगदान की पूर्ण जानकारी करवाते हुए युवाओं को सामाजिक दायित्व का बोध कराना।

(ठ) आंचलिक समन्वय, संहति एवं समरसता के लिए स्थानीय निवासियों के साथ पारस्परिक सहयोग व एकता स्थापित करना। विशेषकर स्थानीय महापुरुषों की जयंतियों तता स्थानीय त्यौहारों, उत्सवों आदि को मनाना और उनमें सक्रिय अंश ग्रहण करना।

(ड) समय-समय पर समाज पर हुए आक्रमणों के इतिहास की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक वातावरण की सृष्टि एवं प्रयत्न करना। अवांछनीय पुनरावृत्ति की अवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर प्रबल विरोध करते हुए समाज को सुरक्षा प्रदान करना।

(ढ) समाज के महापुरुषों के प्रति समाज तथा जनमानस में सम्मान स्थापित करने हेतु विविध कार्यक्रमों को आयोजन करना।

(ण) समाज के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिये निरन्तर क्रियाशील रहना।

(त) राष्ट्रीय एकता के हित में रजग एवं सक्रिय रहते हुए विविध आयोजन एवं प्रयत्न करना।

(थ) प्राकृतिक आपदाओं में जनसाधारण को राहत पहुंचाना तथा स्वास्थ्य शिविर, राहत शिविर आदि के आयोजन द्वारा जन साधारण की सेवा सुश्रुषा करना।

(द) समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग का आदान-प्रदान करना।

(ध) समाजोपयोगी साहित्य की रचना, उसके प्रकाशन एवं वितरण आदि की व्यवस्था करना और कराना।

(न) आवश्यकतानुसार जन साधारण की सेवा के लिए समय-समय पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(प) अन्य वे सभी कार्य करना, जो देश और मानवता के हित में हों।

(फ) मुख्य व सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज एवं जनसाधारण से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता संग्रह एवं स्वीकार करना तथा आवश्यकतानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति का निर्माण एवं क्रयादि करना।

धारा 4. कार्यक्षेत्र :

इस संस्था का कार्यक्षेत्र ..... शहर एवं इसके अलावा आसपास के इलाके होंगे। सम्मेलन की प्रांतीय कार्यकारिणी समिति को कार्यक्षेत्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

धारा 5. परिभाषा :

इस नियमावली के नीचे लिखे हुए शब्द उनके सामने दिए गए अर्थों के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

(अ) सम्मेलन : सम्मेलन से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन से है।

(आ) मंच : मंच से तात्पर्य अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच से है।

(इ) शाखा : शाखा से तात्पर्य मारवाड़ी सम्मेलन ..... शाखा से है।

(ई) मारवाड़ी : मारवाड़ी से तात्पर्य राजस्थान, हरियाणा, मालवा एवं उनके समीपवर्ती भू-भागों के रहन-सहन, भाषा एवं संस्कृति वाले वे व्यक्ति, जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज जेश या विदेश के किसी भी भू-भाग में बसे हों व अपने को मारवाड़ी मानते हों।

(उ) कार्यकारिणी समिति : कार्यकारिणी समिति से तात्पर्य शाखा की कार्यकारिणी समिति से है।

(ऊ) वर्ष : वर्ष से तात्पर्य अंग्रेजी कैलेंडर के 12 महीने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

(ए) समाज : समाज से तात्पर्य मारवाड़ी समाज है।

(ऐ) संस्थापक अध्यक्ष : शाखा गठन के समय बने अध्यक्ष बशर्ते वह शाखा लगातार दो सत्र तक कार्यरत रही हो।

धारा 6. सदस्य : शाखा के सदस्य निम्न श्रेणी के होंगे :-

अ) साधारण सदस्य :

(क) कोई भी समाजबंधु जिसकी सम्मेलन के उद्देश्यों में आस्था हो तथा जो सम्मेलन की गतिविधियों से सहमत हो, सम्मेलन का साधारण सदस्य बन सकता है।

(ख) साधारण सदस्यता प्राप्त करने के लिए इच्छुक समाजबंधु को स्थानीय शाखा से निर्धारित सदस्यता आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित शाखा के कम से कम एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित करा कर संबंधित शाखा के मंत्री को प्रेषित करना होगा।

(ग) सदस्यता आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क अग्रिम देना होगा।

(घ) शाखा की कार्यकारिणी समिति द्वारा उस सदस्यता आवेदन पत्र की स्वीकृति होने पर ही वह सम्मेलन का साधारण सदस्य समझा जाएगा। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा।

(ङ) इस संबंध में शाखा की कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा और आवेदन पत्र अस्वीकृत होने पर कार्यकारिणी समिति अस्वीकृति का कारण बताने को बाध्य नहीं होगी।

(च) राष्ट्रीय तथा प्रांतीय इकाई द्वारा बनाए गए स्थानीय सदस्य भी शाखा के सदस्य होंगे।

(छ) **अन्य सदस्य :** राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रांतीय कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की गई सदस्यता संबंधी निर्णय शाखा पर लागू होंगे।

धारा 7. सदस्यों के कर्तव्य :

सदस्यगण सम्मेलन के संविधान, नियम, उपनियम, नीतियों एवं पारित प्रस्तावों आदि का पालन करेंगे। निर्धारित शुल्क का समय पर भुगतान करेंगे और यथाशक्ति तन-मन-धन से समय-समय पर सम्मेलन के कार्यों में सहयोग देते रहेंगे।

धारा 8. साधारण सदस्यों के अधिकार :

अ) सम्मेलन के राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा शाखा स्तर पर आयोजित अधिवेशनों और समारोहों में भाग ले सकेंगे।

(आ) अपने प्रस्ताव, विचार तथा निवेदन लिखित रूप से राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा शाखा स्तर पर सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे तथा निमंत्रित किये जाने पर सभाओं की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे और नियमानुसार मतदान कर सकेंगे।

(इ) सम्मेलन के राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा शाखा स्तर पर आयोजित चुनावों में संविधान में वर्णित नियमों के अनुरूप चुनाव-प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

(ई) शाखा की वार्षिक रिपोर्ट, आय-व्याय विवरण, अन्य लेख पत्रों, बजट, पारित प्रस्तावों आदि की जानकारी ले सकेंगे।

(उ) शाखा की साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने, सभा में अंश ग्रहण करने, बहस आदि में भाग लेने और मत देने का अधिकार होगा।

धारा 9. सदस्यता से हटाया जाना :

अ) यदि कार्यकारिणी समिति की दृष्टि में कोई भी सदस्य सम्मेलन के हितों के विरुद्ध कार्य करता पाया जाएगा या सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक बनता हो तो उस पर कार्यवाही करने की अधिकार कार्यकारिणी समिति का होगा। उस संबंध में कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा। सदस्यता समाप्ति के निर्णय हेतु कार्यकारिणी समिति में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी एवं ऐसे प्रस्तावों को उस सभा की विवरण सूची में विशेष रूपेण लिपिबद्ध करना अनिवार्य होगा। यदि संबंधित सदस्य उक्त निर्णय को गलत समझता है तो उसे अधिकार होगा कि वह इस निर्णय के विरुद्ध इस संदर्भ में प्रांतीय अनुशासन समिति के समक्ष अपील करे।

(आ) किसी सदस्य का विकृत मस्तिष्क या दुराचारी सिद्ध होने की अवस्था में उपरोक्त नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(इ) निर्धारित समय पर शुल्कन देने पर कार्यकारिणी समिति उस सदस्य को सम्मेलन की सदस्यता से हटा सकती है।

(ई) जिस सदस्य की सस्यता कार्यकारिणी समिति समाप्त करना चाहती हो,

वह अगर राष्ट्रीय-प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य हो या राष्ट्रीय-प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य हो या राष्ट्रीय-प्रांतीय स्तर की किसी समिति, उपसमिति का सदस्य हो तो उस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

(उ) जिस सदस्य की सदस्यता कार्यकारिणी समिति समाप्त करना चाहती हो, वह अगर प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य हो या प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य हो या प्रांतीय स्तर की किसी समिति, उपसमिति का सदस्य हो तो, उस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले प्रांतीय अध्यक्ष से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

धारा 10. सदस्यता शुल्कः

(अ) शाखा अपने साधारण सदस्यों से राष्ट्रीय कार्याकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वार्षिक शुल्क लेगी।

(आ) शाखा प्रत्येक वर्ष अपनी सदस्यता संख्या के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का प्रेषण प्रांतीय कार्यालय को करेगी। प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल की कुल सदस्य संख्या के अनुसार और नई शाखा का गठन हुआ हो तो गठन होने की तारीख की कुल सदस्य संख्या के अनुसार शाखा द्वारा शुल्क का प्रेषण राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यालय को तीन महीने के अंदर किया जाएगा।

धारा 11 कार्यकारिणी समिति :

(अ) शाखा के सुचारू कार्य संचालन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। साधारण सभा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली या सीधे शाखाध्याक्ष के चुनाव की प्रणाली में से कोई भी प्रणाली अपना सकती है।

(आ) कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य तथा निवर्तमान शाखाध्यक्ष सहित शाखा की कुल साधारण सदस्य संख्या का 50 प्रतिशत या 25, जो भी कम हो एवं न्यूनतम संख्या 11 होगी। निवर्तमान अध्यक्ष से तात्पर्य उस अध्यक्ष से है, जो पदासीन अध्यक्ष के पूर्व शाखा का अध्यक्ष रह चुका हो।

(इ) शाखा अगर कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली अपनाती

है, तो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य तथा निवर्तमान शाखा अध्यक्ष साधारण बहुमत से शाखा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नव निर्वाचित शाखाध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी में अधिकतम तीन सदस्य मनोनीत कर सकेंगे।

(ई) कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित सदस्यों में हुई रिक्तता की पूर्ति कार्यकारिणी समिति बैठक में बहुमत से करेगी अगर चुनाव कार्यकारिणी समिति के लिए हुआ हो। पर अगर चुनाव सिर्फ अध्यक्ष का हुआ है तो रिक्तता की पूर्ति शाखाध्यक्ष करेंगे।

(उ) कार्यकारिणी समिति सदस्यों/शाखाध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक दो वर्षों में जनवरी या फरवरी महीने में होगा, चुनाव हेतु कार्यकारिणी समिति एक चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगी। आवश्यकता होने पर चुनाव गुप्त मतदान द्वारा कराया जाएगा।

(ऊ) चुनाव प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति का होगा। यदि कार्यकारिणी समिति चाहे तो यह अधिकार चुनाव अधिकारी को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

(ए) प्रथम कार्यकारिणी समिति का गठन संबंधित प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार होगा। गठन के पश्चात् प्रांतीय अध्यक्ष यदि चाहे तो किसी भी सर्वप्रथम गठित कार्यकारिणी समिति को नियमानुसार गठित घोषित कर सकते हैं।

(ऐ) नव निर्वाचित शाखा अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारियों का मनोनयन करेंगे (अगर चुनाव कार्यकारिणी समिति के लिए हुआ हो तो शाखाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से ही निम्नलिखित पदाधिकारियों का मनोनयन करेंगे):-

उपाध्यक्ष	:	पंद्रह (15) से अधिक कार्यकारिणी सदस्य होने पर अधिकतम तीन पद अन्यथा दो पद।
मंत्री	:	एक पद।
संयुक्त मंत्री	:	पंद्रह (15) से अधिक कार्यकारिणी सदस्य होने पर अधिकतम दो पद अन्यथा एक पद।
कोषाध्यक्ष	:	एक पद।

(ओ) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जो कि अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। किसी शाखा की

कार्यकारिणी समिति के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार प्रांतीय अध्यक्ष को होगा।

(औ) नवगठित कार्यकारिणी समिति को संबंधित वर्ष के अप्रैल माह में शपथ विधि समारोह में पदासीन कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्यभार सौंपा जाएगा।

(अं) कार्यकारिणी समिति की सभा तीन महीने में कम से कम एक बार मंत्री द्वारा अध्यक्ष की सहमति से बुलाई जाएगी। सभा की सूचना पत्र, विज्ञप्ति, व्हाट्सएप, टेलीफोन आदि के माध्यम से दी जा सकती है। किसी कारणवश यदि किसी सदस्य को ऐसी सभा की सूचना नहीं मिल सके तो भी वह सभा वैध समझी जाएगी, बशर्ते कि कार्यकारिणी समिति के आधे से अधिक सदस्य इस सभा को वैध मानने को तैयार हों।

(अ:) कार्यकारिणी समिति की सभा की गणपूरक संख्या पांच या कुल सदस्य संख्या का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, होगा। कोई भी सभा गणपुरक संख्या के अभाव में एक बार स्थगित होने पर दुबारा बुलाये जाने पर गणपूरक संख्या संबंधित ये प्रावधान लागू नहीं होगा, किंतु ऐसी सभा में केवल पिछली स्थगित सभा के विषयों पर ही विचार हो सकेगा।

(क) कार्यकारिणी समिति की सभा में समस्त निर्णय बहुमत से ही हो सकेंगे। मत संख्या बराबर होने पर सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(ख) कार्यकारिणी समिति के सदस्य पद हेतु केवल निम्नलिखित सदस्य ही योग्य होंगे :-

(1) साधारण सदसय जिनके नाम से शाखा के खातों में कोई बकाया राशि न हो एवं चालू वर्ष के शुल्क का भुगतान कर दिया हो।

(2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत अन्य सदस्य, बशर्ते वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन कर रहे हों।

(ग) कार्यकारिणी समिति का जो सदस्य लगातार तीन सभाओं में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थिति रहेगा, कार्यकारिणी समिति को उस सदस्य को सदस्यता से हटाने का अधिकार होगा।

(घ) कार्यकारिणी समिति के 30 प्रतिशत सदस्य या 5 सदस्य, जो भी कम हो, के द्वारा लिखित आवेदन-पत्र आने पर जिसकी एक प्रति अध्यक्ष को देनी आवश्यक होगी, मंत्री को कार्यकारिणी समिति की सभा आवेदन-पत्र

प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर बुलानी पड़ेगी। सूचना में बैठक के बुलाने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखित होना होगा। यदि लिखित आवेदन प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर मंत्री सभा नहीं बुलाये तो लिखित आवेदन पत्र देने वाले सदस्य स्वयं 7 दिन की सूचना देकर सभा बुला सकेंगे। सभा में केवल उसी विषय पर विचार होगा, जिस उद्देश्य से सभा बुलाई गई थी। उस सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही का लिखित विवरण उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित 7 दिन के अंदर मंत्री के पास या शाखा के कार्यालय में भेज देना होगा। ऐसी बैठक में विधिवत स्वीकृत प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति वैध समझने के लिए बाध्य होगी, बशर्ते कि वे प्रस्ताव सम्मेलन के संविधान का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंखन न करते हों।

(ङ) कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार निम्न रूपेण होंगे :-

1. सुप्रबंध एवं कार्य के लिए वर्ष के प्रारंभ में शाखा के कार्यक्रमों का निर्धारण करना एवं बजट बनाना।
2. शाखा के कार्यों एवं कार्यक्रमों के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध करना।
3. शाखा की सभी वस्तुओं, आय-व्याय, लेन-देन और कोष की समुचित व्यवस्था करना तथा उनका हिसाब रखना।
4. शाखा के कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना और कार्य, वेतन आदि सुनिश्चित करना।
5. सम्मेलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देश को कार्यकारिणी सभा में प्रस्तुत कर उस पर आवश्यक कार्यवाही करना।
6. सम्मेलन के अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों पर अपने क्षेत्र में अमल करना एवं ऐसे प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु सम्मेलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यालयों को समुचित सहयोग देना।
7. शाखा को गतिशील करना।
8. किसी स्थान पर शाखा प्रतिनिधि मंडल भेजने की आवश्यकता होने पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का चयन तथा उनके कार्य आदि का निर्धारण करना।
9. आवश्यकतानुसार समितियों और उपसमितियों का गठन और विघटन करना। शाखा के सदस्य ही इन समितियों और उपसमितियों के सदस्य

बन सकते हैं। गठित समितियों से समय-समय पर कार्य विवरण प्राप्त करना एवं उनका पथ प्रदर्शन करना।

10. ऐसे कार्यक्रमों को अपनाना जो शाखा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों। संविधान में स्पष्टत: उल्लेख न रहने पर भी कार्यकारिणी समिति ऐसे कार्यक्रमों को अपना सकती है जो उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो, परंतु सम्मेलन के संविधान, नियमों एवं उपनियमों के प्रतिकूल न हों।
11. उपलब्ध साधनों में अधिकतम जन सेवा कार्य सम्पादित करने हेतु प्रयत्नशील रहना।
12. राष्ट्रीय एकता एवं एकीकरण हेतु सदैव सजग एवं सक्रिय रहना।
13. शाखा के सुव्यवस्थित कार्य संचालन हेतु ऐसे उपनियम आदि बनाना, जिससे सम्मेलन के संविधान की किसी धारा का उल्लंघन या विरोध न हो। आवश्यकतानुसार इन उपनियमों को संशोधित या रद्द करना।
14. सक्रिय सदस्यों को उचित मान्यता एवं सम्मान देना।
15. सम्मेलन की राष्ट्रीय सभा एवं प्रांतीय सभा के लिए संविधानानुसार सदस्य मनोनीत करना एवं वे सभी कार्य सम्पादित करना, जिसकी संविधान एवं नियमादि के अन्तर्गत शाखा से अपेक्षा की गई है।
16. अधिकारों का हस्तान्तरण करना।

धारा 13. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

(अ) अध्यक्ष :

(क) कार्यकारिणी समिति की सभा, साधारण सभा एवं अन्य सभा एवं समारोहों का सभापतित्व कर कार्यवाही का वैधानिक रूप से संचालन करना।

(ख) आवश्यकता होने पर सभा बुलाने की स्वीकृति देना या व्यवस्था करना।

(ग) किसी प्रस्ताव पर मत या संख्या बराबर होने पर निर्णायक मत देकर निर्णय करना।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर बहुमत की सहमति से अथवा विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर किसी भी विवादास्पद विषय पर विचार स्थगित करना।

(ङ) समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना एवं अगली कार्यकारिणी समिति की सभा में गठन पर स्वीकृति प्राप्त करना।

(च) कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित समितियों एवं उपसमितियों में पदेन

सदस्य होना या अपनी जगह उसमें किसी भी उपाध्यक्ष को पदेन सदस्य घोषित करना।

(छ) अति आवश्यक परिस्थितियों में प्रतिनिधिमंडल की नियुक्ति करना एवं उनके कार्य आदि का निर्धारण करना।

(ज) मारवाड़ी युव मंच की स्थानीय इकाई के साथ संपर्क एवं सामंजस्य बनाए रखना।

(झ) शाखा की गतिविधियों से सम्मेलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यालय को सूचित करना।

(ञ) राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यक्रमों तथा निर्देश-पत्रों को शाखा की कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करना एवं समस्त सदस्यों की जानकारी में लाना।

(ट) शाखा के सदस्यों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखना।

(ठ) ऐसे किसी भी विषय पर जो निर्विवाद रूप से सम्मेलन के उद्देश्य की परिधि में हों और जिस पर निर्णय करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने के लिए समय नहीं हो, अध्यक्ष कार्यवाही कर सकता है, पर इस विषय में कार्यकारिणी समिति की अगली सभा को अवगत कराना आवश्यक होगा।

(ड) सम्मेलन एवं शाखा की गतिविधियों के उचित प्रचार की व्यवस्था करना।

(ढ) शाखा कार्यकारिणी में पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन करना तथा कार्यकारिणी समिति में हुई रिक्तता की पूर्ति करना।

आ) उपाध्यक्ष :

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य करना।

(ख) आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के सभी कार्य में सहायता प्रदान करना।

(ग) किसी भी समिति या उपसमिति में अध्यक्ष द्वारा पदेन सदस्य घोषित किये जाने पर तदानुसार कार्य करना।

(घ) अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्यों को जिम्मेदारीपूर्वक सम्पादित करना।

इ) मंत्री :

(क) शाखा के समस्त कार्यों का संविधान के अनुसार संचालन करना तथा उनका पूर्ण विवरण रखना।

(ख) आवश्यकतानुसार एवं संविधान के अनुसार कार्यकारिणी समिति एवं साधारण सभा की बैठकों का आह्वान एवं आयोजन करना।

(ग) प्रत्येक बैठक का पूर्ण विवरण रखना तथा आगामी बैठकों में इसे प्रस्तुत करना।

(घ) समितियों, उपसमितियों एवं विभागों की कार्यप्रगति के संदर्भ में पूर्ण जानकारी रखना एवं उनके साथ संपर्क एवं सामंजस्य बनाए रखना। आवश्यक कार्य विवरण रखना।

(ङ) अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्यों का सम्पादन करना।

(च) कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित कराने हेतु हर संभव प्रयास करना।

(छ) सम्मेलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यालय से निरन्तर संपर्क रखना।

(ज) शाखा की गतिविधियों के बारे में सम्मेलन की स्थानीय एवं प्रादेशिक इकाइयों को समय-समय पर सूचित करते रहना।

(झ) सम्मेलन के उद्देश्यों का प्रचार तथा प्रस्तवों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न करना।

(ञ) शाखा की कार्यकारिणी समिति को सम्मेलन की अन्य शाखाओं की गतिविधियों से अवगत कराते रहना।

(ट) शपथ विधि समारोह में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ठ) शाखा की सम्पत्ति को पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखना, उसका हिसाब रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर सम्मेलन के लिए व्यवहार में लाना।

(ड) शाखा के कार्य संचालन हेतु उचित व्यय करना।

(ढ) कोषाध्यक्ष को हर संभव सहयोग प्रदान करना।

(ण) सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत शाखा का पंजीकरण/ पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना तथा उसे प्रभावी बनाये रखने के लिए आवश्यक कानूनी- प्रशासनिक कार्यवाही करते रहना।

ई) सयुक्त मंत्री :

(क) मंत्री के प्रत्येक कार्यों में सहयोग देना।

(ख) मंत्री की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य करना।

(ग) मंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों का सम्पादन करना।

उ) कोषाध्यक्ष :

(क) सदस्यों से शुल्क वसूल करना एवं इस उद्देश्य हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना।

(ख) शाखा की बकाया राशि को एकत्रित करने का प्रबंध करना।

(ग) शाखा के अध्यक्ष एवं मंत्री द्वारा शाखा संचालन हेतु किए गए व्यय का उन्हें भुगतान करना तथा कार्यकारिणी समिति की सभा में व्यय पर स्वीकृति लेना।

(घ) कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत व्यय के अन्तर्गत संबंधित समितियों एवं उपसमितियों की सलाहानुसार व्यय का भुगतान करना।

(ङ) सम्मेलन के राष्ट्रीय कार्यालय को संविधानानुसार शुल्क का भुगतान करना।

(च) शाखा के कोष में धन उपलब्ध नहीं रहने पर अध्यक्ष से सलाह करना एवं सलाहनुसार उचित कार्यवाही करना।

छ) शाखा के बैंक खाते की देख-रेख करना।

ज) शाखा की कोष संग्रह समिति में हिसाब लेकर संग्रहित धन शाखा के बैंक खाते में जमा करवाना।

झ) शाखा के आय-व्यय एवं सम्पत्ति-दायितवों का पूर्ण हिसाब रखना।

ञ) शाखा के कोष में से 1,000 रुपए या शाखा की कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत राशि को सम्मेलन के उद्देश्यों हेतु अपने पास नकद रखना।

ट) शाखा की आर्थिक स्थिति के बारे में कार्यकारिणी समिति, सम्मेलन के प्रांतीय अधिकारियों को त्रैमासिक विवरण देना।

ठ) शाखा की कार्यकारिणी समिति के चुनावों के पूर्व चुनाव अधिकारी एवं मंत्री को उन सदस्यों की सूची देना, जिनके नाम शाखा के खातों में बकाया राशि है या जिन्होंने चालू वर्ष में शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

ड) शाखा के अध्यक्ष/मंत्री/समितियों एवं उपसमितियों द्वारा सिफारिश किए गए व्यय के भुगतान को कार्यकारिणी समिति की सभा तक रोक लेना, यदि उसे व्यय के सही होने के बारे में कोई उचित संदेह हो एवं कार्यकारिणी समिति की अगली सभा में ऐसे व्यय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

ढ) अध्यक्ष, मंत्री या संबंधित समिति के संयोजक की सिफारिश के बिना कोषाध्यक्ष कोई भी व्यय का भुगतान नहीं कर सकेगा। यदि वह अधिकृत व्यय से अधिक है।

ण) आयकर, अधिनियम 1961 के तहत शाखा का पंजीकरण करवाना, वार्षिक

रिटर्न जमा करवाना तथा अन्य आवश्यक कानूनी-प्रशासनिक कार्यवाही करते रहना।

धार 14. साधारण सभा:-

अ) वर्ष में कम से कम एक साधारण सभा होगी, जो वार्षिक साधारण सभा के रूप में आयोजित की जाएगी। वर्ष से तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च माह तक है।

आ) साधारण सभा के आयोजन की प्रामाणिक सूचना विषय सूची सहित समस्त सदस्यों को सभा के 7 दिन पहले मंत्री द्वारा प्रेषित की जाएगी।

इ) साधारण सभा के लिए गणपूरक संख्या 20 या शाखा की कुल सदस्य संख्या का 20 प्रतिशत भाग, जो भी कम हो, होगी।

ई) साधारण सभा में सम्पादित किए जाने वाले कार्य निम्नरूपेण होंगे, जिनमें 'क' व 'ख' में उल्लेखित कार्य साधारण सभा में ही सम्पादित किए जाएंगे :-

क) ऑडिटर की नियुक्ति।

ख) पिछले वर्ष के आय-व्यय के अंकक्षित हिसाब की प्रस्तुति एवं स्वीकृति।

ग) शाखा की कार्यकारिणी समिति का ब्यौरा लेना।

घ) शाखा की कार्यकारिणी समिति को संविधान के अनुसार एवं सम्मेलन की नीति के अनुसार आवश्यक निर्देश देना। ये निर्देश सम्मेलन के राष्ट्रीय/प्रांतीय कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विरोध में नहीं हो सकते।

ङ) सम्मेलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतिय कार्यालय से जारी पत्रों को सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत करना।

च) सम्मेलन की अन्य शाखाओं की गतिविधियों के बारे में सदस्यों को सूचित करना।

छ) राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को सदस्यों को सूचित करना।

ज) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार-विमर्श एवं सदस्यों के सुझाव को लिपिबद्ध कर कार्यकारिणी समिति को प्रेषित करना।

झ) शाखा की कार्यकारिणी समिति एवं पदाधिकारियों द्वारा महसूस की जाने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं निदान करना।

ञ) सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर विचार-विमर्श।

ट) शाखा एवं सम्मेलन को सशक्त एवं सक्रिय बनाने हेतु विचार-विमर्श

करना एवं कार्यकारिणी समिति को सिफारिश/ सम्मेलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिकारियों को सिफारिश करना।

उ) साधारण सभा में निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। बराबर मत होने की अवस्था में निर्णायक मत सभापति का होगा।

धारा 16. विशेष साधारण सभा :-

अ) अध्यक्ष-मंत्री चाहे तो अपरिहार्य परिस्थितियों में विशेष साधारण सभा का आयोजन किया जा सकता है। इसके लिए अग्रिम सूचना के संदर्भ में समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस सभा में लिया गया निर्णय साधारण सभा का निर्णय समझा जाएगा।

आ) कुल साधारण सदस्य संख्या के 30 प्रतिशत या 20 सदस्य, जो भी कम हों, के द्वारा लिखित आवेदन पत्र आने पर, जिसकी एक प्रति अध्यक्ष को देनी आवश्यक होगी, मंत्री को विशेष साधारण सभा का आयोजन आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों में कराना होगा। सूचना में सभा का उद्देश्य स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। यदि लिखित आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों में मंत्री सभा न बुलाए तो लिखित आवेदन पत्र देने वाले सदस्य स्वयं 10 दिनों की पूर्व सूचना देकर सभा बुला सकेंगे। सभा में केवल उन्हीं विषय पर विचार होगा जिस उद्देश्य से सभा बुलाई गई है। इस सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही का लिखित विवरण उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित 7 दिनों के भीतर मंत्री के पास या कार्यालय में देना होगा। ऐसी बैठक में विधिवत स्वीकृत प्रस्ताव पूर्ण रूपेण वैध होंगे, बशर्ते की प्रस्ताव सम्मेलन के संविधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध न करते हों।

धारा 16. बैंक खाता :

अ) शाखा का कोष बैंक में जमा रहेगा।

आ) बैंक खाता अध्यक्ष या मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होगा।

धारा 17. लिपि :

संस्था का लिखित कार्य यथासंभव हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि में किया जाएगा, किंतु अन्य भाषाओं का प्रयोग भी आवश्यक होने से किया जा सकेगा।

धारा 18. कोष : शाखा का कोष निम्न भागों में विभाजित होगा :-

अ) प्रशासनिक कोष : सदस्यों द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क एवं विशेष अनुदान द्वारा इस कोष का निर्माण होगा। शाखा का प्रशासनिक व्यय इस कोष में से किया जाना चाहिए।

आ) कार्यक्रम कोष : समाज एवं जनसाधारण की सहायता से इस कोष का निर्माण होगा। शाखा के कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय इस कोष में से किया जाएगा।

इ) विशेष कोष : विशेष कार्यक्रमों एवं गतिविधियों हेतु प्राप्त राशि इस कोष का निर्माण करेगी एवं इस कोष में से व्यय उन विशेष कार्यक्रमों हेतु ही किया जाएगा।

ई) स्थायी कोष : स्थायी कोष हेतु प्राप्त राशि या अन्य कोषों से इस कोष की हस्तान्तरित राशि इस कोष का निर्माण करेगी। स्थायी कोष को व्यय हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। परंतु इस कोष से होने वाली आमदनी की साधारण सभा के बहुमत निर्णयानुसार प्रयोग में लाया जा सकेगा। स्थायी कोष को प्रयोग में लेने के लिए साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के 75 प्रतिशत सदस्यों भाग की सहमति अनिवार्य होगी।

धारा 19. हिसाब-किताब :

अ) शाखा का हिसाब-किताब वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा।

आ) वर्ष समाप्त होने के तीन महीनों के भीतर हिसाब-किताब पर ऑडिटर्स रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी एवं सदस्यों से स्वीकृति हेतु साधारण सभा में इसे ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

धारा 20. संशोधन :-

अ) इस नियमावली में संशोधन का अधिकार सम्मेलन की राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी को होगा।

आ) नियमावली में संशोधन के लिए शाखा को कार्यकारिणी समिति अपने सुझाव साधारण सभा में पारित करवाकर राष्ट्रीय व प्रांतीय महामंत्री को भेज सकेगी।

इ) प्रांतीय सभा द्वारा संशोधित नियमावली सभी शाखाओं पर लागू होगी।

धारा 21. ग्रहण :

सम्मेलन की शाखा गठन हेतु आवेदन पर प्रांतीय अध्यक्ष की अनुशंसा प्राप्त होने पर यह नियमावली शाखा पर लागू समझी जाएगी।

धारा 22. अनुवाद :

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु इसका अनुवाद आवश्यक भाषा में किया जा सकेगा। अन्य किसी उद्देश्यों हेतु भी इसका अनुवाद दूसरी भाषा में किया जा सकता है।

धारा 23. कानूनी कार्यवाही :

शाखा द्वारा या शाखा के विरूद्ध जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, इसका संचालन मंत्री अथवा अध्यक्ष के द्वारा शाखा के नाम से किया जाएगा। इस संबंध में अधिवक्ता नियुक्त करने का एवं सभी कानूनी कागजातों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मंत्री या अध्यक्ष हो होगा।

धार 24. विघटन :

अ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की सिफारिश पर किसी शाखा को विघटित कर सकती है।

आ) शाखा के विघटन के समय ऋणों और दायित्वों को भुगतान करने के पश्चात जो भी सम्पत्ति शेष रह जाएगी, उसके अधिकारी शाखा के पदाधिकारी या सदस्य नहीं होंगे। ऐसी सम्पत्ति के संदर्भ में प्रांतीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

25. कार्यालय :

शाखा का स्थायी कार्यालय न होने की अवस्था में अध्यक्ष या मंत्री का पता ही शाखा का कार्यालय समझा जाएगा, अन्यथा कार्यकारिणी समिति कोई पता निर्धारित करेगी।

27. अन्य :

अ) सम्मेलन के संविधान के अंतगत शाखाओं को दिए गए अधिकारों का प्रयोग शाखा की कार्यकारिणी समिति के माध्यम से हो सकेगा, बशर्ते कि कोई प्रतिबंध इस नियमावली के अंतर्गत स्पष्ट न हो।

आ) नियमावली के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होने पर प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा किया गया विवेचन अंतिम होगा एवं समस्त शाखाओं पर लागू होगा।

उ) शाखाओं के सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु नियमावली के अन्तर्गत जो प्रतिबंध लगाए गए हैं एवं व्यवस्थाएं की गई है, प्रांतीय अध्यक्ष किसी विशिष्ट शाखा या शाखाओं के संदर्भ में उन प्रतिबंधों को एक निश्चित समय के लिए ढीला कर सकते हैं व व्यवस्थाओं में भी एक निश्चित समय के लिए कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु यह छूट एक बार में छह माह से अधिक के लिए नहीं दी जानी चाहिए। प्रांतीय अध्यक्ष यदि चाहे तो यह अधिकार शाखा के किसी वरिष्ठ सदस्य को हस्तांतरित कर सकते हैं।

ऊ) शाखाओं के संदर्भ में सम्मेलन की प्रांतीय कार्यकारिणी समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का मूलभूत अधिकार रहेगा कि वे विशेष परिस्थितियों में इस नियमावली एवं सम्मेल के संविधान के अन्तर्गत उत्पन्न किसी संकट के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दे सकेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की ऐसे निर्देश अध्यक्ष से सलाह करके ही देने चाहिए।

नोट : *राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस नियमावली में संशोधन का पूर्ण अधिकार होगा।*